न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2022
प्रविष्टि दिनांक 23.02.2022

1–नानूलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोक
2–हरजी पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोक
3–श्योजी पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोक
4–शकंर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोक
5–रामचन्द्र पुत्र बालू जाति जाट निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोक

–अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला–टोक –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार पीपलू दिनांक 01.12.2021 मिसल नम्बर 592/2021

उपस्थिति : (1) श्री ललित कुमार जग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 07.04.2022

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 0.01 है0, किस्म बारानी–1 वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर चाह का निर्माण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 1200/रू. पेनल्टी कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:13:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया दिया गया है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि पर आज तक कोई फसल काश्त नही की है और ना ही कब्जा करने हेतु अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावनापूर्वक अपीलांट के विरूद्व रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया गया है,परन्तु निर्णय मे अपीलांट को पूर्व मे कब कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेंदखल किया गया का उल्लेख नही है। अपीलांट्स ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 268 रकबा 0.01 है0,किस्म बारानी–1 वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर चाह का निर्माण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 30 दिन की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट्स ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 529 निर्णय दिनांक 08.10.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट्स की और से महावीर की तामील हुई है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 268 रकबा 0.01 है0, किस्म बारानी–1 वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर चाह पर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 03.03.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर [illegible] है कि उक्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त नही रहा है। [illegible] मे ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान मे मौके पर हमारा [illegible] कब्जा नही है [illegible] ही भविष्य मे उक्त आराजी पर हम कब्जा करेगे और नही [illegible] करेगा। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो मे चाह का उल्लेख नही है। [illegible] ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सं0 529 निर्णय दिनांक 08.10.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 01.12.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर

टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

सत्यमेव जयते

राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:13:58 IST
Reason: SelfAttested